

न्यायालय अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय— 1 , कटिहार

C-I Case no. -541/2017

सरकार

वनाम्

मो० बल्लू

22-06-2026: एकमात्र अभियुक्त मो० बल्लू हाजरी देकर न्यायालय में उपस्थित हैं। बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त मो० बल्लू का दोष स्वीकारोक्ति आवेदन दाखिल किया गया है। जिसकी प्रति विशेष लोक अभियोजन को प्राप्त कराया गया है।

दोष स्वीकारोक्ति आवेदन को संचालित करते हुए बचाव पक्ष का कथन है कि प्रार्थी अभियुक्त मो० बल्लू अपना दोष स्वीकार करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना है कि दोष स्वीकारोक्ति आवेदन को स्वीकार किया जाय।

दोष स्वीकारोक्ति आवेदन पर उभय पक्षकारों को सुना। अभिलेख को अवलोकन किया अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 30.05.2018 को अभियुक्त मो० बल्लू के विरुद्ध मधुनिषेध और उत्पाद अधिनियम की धारा 37(b) सह पठित धारा 13 के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया था। आज अभियुक्त मो० बल्लू न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना दोष स्वीकार करते हैं। अतः अभियुक्त मो० बल्लू के द्वारा दाखिल दोष स्वीकारोक्ति आवेदन को मो० 2000/- (दो हजार रुपये) जूरमाने पर स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा जूरमाने की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को 30 दिनों का साधारण कारावास होगा। जूरमाने की राशि नजार्त, व्यवहार न्यायालय, कटिहार में जमा होगा।

लेखापित

Sd/-

अनन्य विशेष उत्पाद
न्यायाधीश—प्रथम

बाद में

22-06-2026: उपर्युक्त आदेशानुसार अभियुक्त मो० बल्लू की ओर से मो० 2000/- (दो हजार रुपये) जूरमाने की राशि को नजार्त रसीद संख्या 0234339 दिनांक 22.06.2026 के माध्यम दाखिल किया गया।

तदनुसार अभियुक्त मो० बल्लू को छोड़ा जाता है। अभियुक्त मो० बल्लू के जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों के उन्मुक्त किया जाता है। वाद को निस्पादित किया जाता है। कार्यालय, अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

Sd/-

अनन्य विशेष उत्पाद
न्यायाधीश—प्रथम